



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1704]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 2012/भाद्र 14, 1934

No. 1704]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2012/BHADRA 14, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2012

का.आ. 2039(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1174(अ) तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

(क) क्रम संख्यांक 6, 38, 39, 41 और 45 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“6	मैसर्स जीदीमेटला एफल्युएंट ट्रीटमेंट लि., प्लॉट नं. 267, फेज-1, आई.डी.ए. जीदीमेटला, हैदराबाद-500055 (आन्ध्र प्रदेश)	(1) श्री आई. श्रीनिवास राव (2) श्री के. वी. सुब्बा रेड्डी (3) श्री जी. प्रसाद	5-9-2012 से 4-9-2017
38	मैसर्स इन्वायरोकेयर लैब्स, प्रा.लि., इन्वायरो हाउस, ए-7, एम.आई.डी.सी., बागले इंडस्ट्रियल इस्टेट, मेन रोड, ठाणे-400604, मुम्बई (महाराष्ट्र)	(1) डॉ. नीलेश अमतकर (2) श्रीमती मनीषा जोशी (3) श्रीमती तनुजा ठाकुर	5-9-2012 से 4-9-2017
39	मैसर्स टीम टेस्ट हाउस (यूनिट ऑफ टीम इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रा.लि.) जी.1-548, सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर-302022 (राजस्थान)	(1) सुश्री कविता माथुर (2) श्री निरंजन कुमार (3) डॉ. रितु जैन	5-9-2012 से 4-9-2017

41	मैसर्स इन्वायरोकैम रिसर्च एण्ड टेरट लैब्स प्रा० लि०, एच०आई०जी० 79, सेक्टर - ई, अलीगंज, लखनऊ -226024 (उत्तर प्रदेश)	(1) डॉ० एम०एम० अग्रवाल (2) डॉ० सामिना हसन (3) सुश्री सरोज सिंह	5-9-2012 से 4-9-2017
45	मैसर्स मिनरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, 25/XXV, क्लब रोड, बेल्लारी - 583103 कर्नाटक	(1) श्री० एम० सचिन राजू (2) श्रीमती के० कृष्णावनी (3) श्री० एम० रोहिणी कुमार	5-9-2012 से 4-9-2017

(ख) क्रम संख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टिया अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
100	मैसर्स एवन फुड लैब प्रा० लि०, इन्वायरमेंट डिवीजन, सी-35/23, लॉरेंस रोड, इंडरिटयल एरिया, दिल्ली - 110035	(1) डॉ० एन०सी० बरान्ता (2) श्री अमित कुमार सिंह (3) सुश्री इंदू भारती	5-9-2012 से 4-9-2017

[फा. सं. न्यू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 1174 संख्यांक (अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना सं० का.आ.1539(अ) तारीख 13 सितंबर, 2007 का.आ. 1811(अ) तारीख 24 अक्टूबर, 2007, का.आ.55 (अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ.428 (अ), तारीख 4 मार्च 2008, का.आ. 865(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ.1894 (अ) तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ) तारीख 25 नवंबर, 2008, का.आ. 1356(अ) तारीख 27 मई, 2009, का.आ.1802 (अ) तारीख 22, जुलाई, 2009 का.आ. 2399 (अ) तारीख 18 सितंबर, 2009 का.आ. 3122 (अ) तारीख 7 दिसंबर, 2009 का.आ. 3123 (अ) तारीख 7 दिसंबर 2009 और का.आ. 142 (अ) तारीख 21 जनवरी 2010 का.आ.619 (अ), तारीख 19 मार्च 2010 का.आ.1662 (अ) तारीख 13 जुलाई, 2010, का.आ.2390(अ) तारीख 30 सितंबर, 2010, का.आ. 2904 (अ) तारीख 8 दिसंबर 2010, का.आ.181 (अ), तारीख 28 जनवरी, 2011, का.आ.692 (अ), तारीख 5 अप्रैल, 2011, का.आ.1537 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2011, का.आ.1754 (अ), तारीख 28 जुलाई, 2011 का.आ. 2609(अ) तारीख 22 नवंबर, 2011 का.आ. 1150 (अ) तारीख 22 मई, 2012 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2012

S.O. 2039(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 12 and section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely :-

In the Table appended to the said notification,-

(a) for serial numbers 6,38 39,41 and 45 and the entries relating thereto in columns (2),(3) and (4), the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)
6	M/s Jeedimetla Effluent Treatment Ltd., Plot No.267,Phase-I, IDA - Jeedimetla Hyderabad-500055. Andhra Pradesh	(1) Mr. I. Srinivasa Rao (2) Mr. K.V.Subba Reddy (3) Mr. G. Prasad	5-9-2012 to 4-9-2017
38	M/s Envirocare Labs Pvt. Ltd., Enviro House, A-7, MIDC, Wagle Industrial Estate, Main Road, Thane - 400604 (Mumbai) Maharashtra	(1) Dr. Nilesh Amritkar (2) Mrs. Manisha Joshi (3) Mrs. Tanuja Thakur	5-9-2012 to 4-9-2017
39	M/s Team Test House, (A Unit of Team Institute of Science & Technology Pvt. Ltd.,) G1-584, Sitapura Industrial Area, Jaipur - 302022 (Rajasthan)	(1) Ms. Kavita Mathur (2) Mr. Niranjan Kumar (3) Dr. Ritu Jain	5-9-2012 to 4-9-2017

41	M/s Envirochem Research & Test Labs Pvt. Ltd. HIG-79, Sector-E, Aliganj Lucknow - 226024 (U.P)	(1) Dr. M.M. Agarwal (2) Dr. Samina Hasan (3) Ms. Saroj Singh	5-9-2012 to 4-9-2017
45	M/s Mineral Engineering Services, 25/XXV, Club Road, Bellary - 583103 (Karnataka)	(1) Mr. M. Sachin Raju (2) Mrs. K. Krishnaveni (3) Mr. M. Rohini Kumar	5-9-2012 to 4-9-2017

(b) after serial number 99 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

"100	M/s AVON Food Lab Pvt. Ltd., (Environment Division) C-35/23, Lawrence Road Industrial Area Delhi-110035	(1) Dr. N.C. Basantia (2) Mr. Amit Kumar Singh (3) Ms. Indu Bharti	5-9-2012 to 4-9-2017
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------

[F.No.Q.15018/7/2003-CPW]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 1174 (E), dated the 18th July, 2007 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 1539 (E), dated the 13th September, 2007, S.O.1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O.55(E), dated 9th January, 2008, S.O.428(E), dated the 4th March, 2008, S.O.No.865(E) dated the 11th April, 2008, S.O.No.1894(E) dated the 31st July,2008, S.O.No.2728(E) dated the 25th November, 2008, S.O.1356(E) dated the 27th May, 2009, S.O.No.1802(E) dated the 22nd July, 2009 and S.O.No.2399(E), dated the 18th September, 2009 and S.O.No.3122(E), dated the 7th December, 2009 and S.O.No.3123(E), dated the 7th December, 2009, S.O.No.142(E), dated the 21st January, 2010, S.O.619(E), 19th March, 2010, S.O.No.1662(E) dated the 13rd July,2010, S.O.No.2390(E), dated the 30th September, 2010 S.O.No.2904(E), dated the 8th December, 2010 and S.O.No.181(E), dated the 28th January, 2011, S.O.No.692(E), dated the 5th April, 2011, S.O.No.1537(E), dated the 6th July,2011, S.O.No.1754(E), dated the 28th July,2011 S.O.No.2609 (E) dated the 22nd November, 2011, S.O.No.264 (E), dated the 13 February, 2012, S.O.No.1150(E), dated the 22nd May, 2012.